



हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 28.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियों की गयी है-

### **01.थाना बिलरियागंज: दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।**

#### **पूर्व की घटना-**

दिनांक 24.09.2024 को वादिनी मुकदमा ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी के देवर द्वारा वादिनी/पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया व ससुराल के लोगों द्वारा सहयोग करना तथा ससुराल के लोगों द्वारा मारपीट की गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 329/24 धारा 85, 115(2), 352, 351(2), 64 बीएनएस बनाम (1)पति अभिनव राय (2). देवर अभ्युदय राय पुत्रगण अरुण राय (3).ससुर अरुण राय पुत्र स्व0 सुरेश राय (4).सास संध्या राय पत्नी अरुण राय (5).ननद प्रगति राय पुत्री अरुण राय निवासीगण बोझिया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। जि समे नामित अभियुक्त अभ्युदय उपरोक्त को आज दिनांक 28.09.2024 को गिरफ्तार किया गया है।

#### **गिरफ्तारी का विवरण:-**

दिनांक 28.09.2024 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभ्युदय राय पुत्र अरुण राय नि0 बोझिया थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ के अभियुक्त के घर ग्राम बोझिया से समय करीब 12.45 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।



## 02.थाना बिलरियागंज: गैगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

### पूर्व की घटना-

दिनांक 27.09.2024 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 338/2024 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गैगे0 एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बनाम 1.मोहम्मद अकमल पुत्र एकराम नि0 भावारायपुर पट्टी टण्डन राय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. सहजाद पुत्र अफजल नि0 पाँती बुजुर्ग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 3. शाह आलम पुत्र इद्रीस नि0 पाँती बुजुर्ग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 4. सादिक पुत्र इन्तेखाब नि0 पाँती बुजुर्ग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 5. मोहम्मद सलीम पुत्र परवेज नि0 जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 6. खुर्शीद पुत्र इश्तेयाक नि0 रामपुर हज्जामपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 7. वशीउर्रहमान पुत्र मंजूर अहमद नि0 गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ है। अभियोग उपरोक्त में नामजद अभियुक्त 1.वशीउर्रहमान पुत्र मंजूर अहमद निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. शाह आलम पुत्र इद्रीस निवासी पाँती बुजुर्ग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दिनांक 27.09.2024 को रात्रि 21.40 बजे गिरफ्तार किया गया है।

### गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 27.09.2024 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा गैगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त 1. वशीउर्रहमान पुत्र मंजूर अहमद निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. शाह आलम पुत्र इद्रीस निवासी पाँती बुजुर्ग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को नसीरपुर चौराहे के पास से समय करीब 21.40 बजे हमराही कर्म0गण के मदद से हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

### आपराधिक इतिहास –

- 1- मु0अ0सं0 151/23 धारा 365, 420, 386, 506, 34 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- 2- मु0अ0सं0 338/2024 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गैगे0 एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़





### 03. थाना सरायमीर: उच्च प्राथमिक विद्यालय से चोरी करने वाले 02 शातिर अपराधी अवैध असलहा व

#### कारतूस के साथ गिरफ्तार

#### पूर्व की घटना-

1. दिनांक- 07.09.2024 वादी अजय कुमार यादव उ0मा0 वि0 आषाढा आजमगढ़ द्वारा दिनांक-06.09.2024 को उच्च प्राथमिक विद्यालय आषाढा थाना सरायमीर आजमगढ़ में सुबह ताला खोला तो देखा की रसोई घर का दरवाजा खुला हैं तथा उसमें रखा इण्डियन कम्पनी का गैस सिलेण्डर गायब था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-479/24 धारा 331(2)/305 BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध किया गया ।
2. दिनांक 25.09.2024 को वादी रामसिंह रामसिंह पुत्र नत्थु सिंह ग्राम व पो बसहिया गंगासागर जनपद अम्बेडकर नगर ( प्रधानाध्यापक ) कम्पोजिट विद्यालय सुरही खुर्द शिक्षा क्षेत्र मिर्जापुर जनपद आजमगढ़ आज दिनांक 23.09.24 को प्रात- 7.15 पर जब विद्यालय पहुंचा तो विद्यालय के भीतर प्रवेश करने पर विद्यालय के कार्यालय और इसके बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और कमरो का ताला कुछ दूरी पर गिरा पडा था प्रार्थी कमरे में प्रवेश करने पर देखा कि स्मार्ट टी0वी0 का 1- UPS 2- HD web कैमरा 3- WI-FI डोगल एव सिम कार्ड गायब है वादी के दिये गये तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 504/24 धारा 305/331(4)/324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया । आज दिनांक को निम्न मुकदमें प्रकाश में आये अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान मा0न्यायालय किया जा रहा है ।

#### गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 28.09.2024 उ0नि0 देवचरण सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त रूमान पुत्र शाह आलम ग्राम नन्दाव थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष 2. शंकर यादव उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी ग्राम नन्दाव रेवला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को 02 अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक अदद गैस सिलेण्डर व 3140/- रूपये के साथ ग्राम नरदह पुलिया के पास से समय 04.40 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 511/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

#### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 479/24 331(2)/305 BNS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 504/24 धारा 305/331(4)/324(4) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ दोनो मुकदमो में धारा 317(2), 3(5) बीएनएस की बढोत्तरी ।
3. मु0अ0सं0- 510/ धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 511/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

#### गिरफ्तार अभियुक्त –

1. रूमान पुत्र शाह आलम ग्राम नन्दाव थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष
2. शंकर यादव उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी ग्राम नन्दाव रेवला थाना सरायमीर जनपद बरामदगी-

01-02 अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर,

02-एक अदद गैस सिलेण्डर व 3140/- रूपये

#### आपराधिक इतिहास- अभियुक्त रूमान -

- 1.102/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।
- 2.27/2020 धारा 411/414 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
- 3.278/2022 धारा 60 EX ACT थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
- 4.मु0अ0सं0- 479/24 331(2)/305 BNS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 504/24 धारा 305/331(4)/324(4) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0- 510/ धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

#### अभियुक्त शंकर यादव उर्फ झब्बू -

- 1.46/20218 धारा 380/457/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

2.115/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

3. मु0अ0सं0- 331(2)/305 BNS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

4. मु0अ0सं0 504/24 धारा 305/331(4)/324(4) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

5. मु0अ0सं0- 511/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।





#### 04. थाना- मेंहनगर: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 21.09.2024 वादिनी मुकदमा थाना मेंहनगर आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि कि दिनांक- 13.09.2024 को विपक्षी अमर चौहान s/o सुब्बा चौहान निवासी ग्राम झउवा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 381/2024 धारा 137(2)/87 BNS थाना मेंहनगर आजमगढ पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 28.09.2024 को उ0नि0 पवन कुमार सिंह हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अमर सिंह चौहान पुत्र सुब्बा चौहान निवासी ग्राम झउवा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ उम्र 24 वर्ष को समय 08.00 बजे ग्राम कटहन तिराहा थाना मेंहनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।



#### 05.थाना अतरौलिया: किशोरी को अगवा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण – दिनांक 31.08.24 को वादिनी मुकदमा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ की नाबालिग लड़की उम्र 16 वर्ष को आरोपी किशन पुत्र रामदास ग्राम बिलारी लहनपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ द्वारा बहला – फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 308/24 धारा- 137(2)/87 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रशिक्षु उ0नि0 मयंक नरायन सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 28.09.24 को उ0नि0 मयंक नरायन सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित किशन पुत्र रामदास ग्राम बिलारी लहनपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ उम्र 24 वर्ष को उसके घर ग्राम बिलारी लहनपट्टी से कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 13.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

